संख्या–919/62–2–2011–2/3(110)/2009टी0सी0

प्रेषक,

सुशील कुमार,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

मुख्य अभियंता,
लघु सिंचाई विभाग,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

लघु सिंचाई एवं ग्रामीण अभियंत्रण सेवा अनुभाग–2 लखनऊः दिनांकः 23 मार्च, 2011

विषयः– राष्ट्रीय ग्रामीण विकास बैंक के ग्रामीण अवस्थापना विकास कोष–15 के अन्तर्गत स्वीकृत सामुदायिक ब्लास्टकूपों के निर्माण/जीर्णोद्धार की नई योजना के कियान्वयन हेतु दिशा–निर्देश।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या–1704/62–2–2010–2/3(110)/2009टी0सी0, दिनांक 25.05.2010 के अनुदान से संबंधित प्रस्तर–1 बिन्दु–5(ब) के कम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि स्प्रिंकलर/रेनगन सेट स्थापित करने हेतु निम्नलिखित निर्णय लिये गये हैं:–

(1) योजना के अन्तर्गत गठित समूह को स्प्रिंकलर सेट के लिए रू0–65000/– अनुदान दिया जायेगा, जिसमें रू0–45000/– स्प्रिंकलर सिस्टम तथा रू0–20000/–डीजल पम्पसेट हेतु है। प्रत्येक कूप की स्थिति के अनुसार स्प्रिंकलर सिस्टम की डिजाइन की जायेगी और यदि स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार स्प्रिंकलर सिस्टम की लागत इससे अधिक आती है तो शेष धनराशि कृषक समूह द्वारा वहन की जायेगी और यदि लागत कम आती है तो वास्तविक लागत की सीमा तक ही अनुदान दिया जायेगा। स्प्रिंकलर सिस्टम समूह की सम्पत्ति होगा तथा समूह यह सुनिश्चित करेगा कि इससे समूह के सभी सदस्य लाभान्वित हों। यदि समूह के पास पर्याप्त क्षमता का डीजल पम्पसेट पूर्व से उपलब्ध है तो स्प्रिंकलर सिस्टम के संचालन में वह उसका उपयोग कर सकेगा और ऐसी स्थिति में समूह को डीजल पम्पसेट अनुदान अनुमन्य नहीं होगा। यदि समूह स्प्रिंकलर सिस्टम के साथ डीजल पम्पसेट कय करना चाहता है तो इस हेतु वास्तविक लागत अधिकतम रू0–20000/– का ही अनुदान देय होगा। रू0–20000/– से अधिक मूल्य होने पर शेष धनराशि समूह द्वारा वहन की जायेगी। समूह द्वारा अनिच्छा व्यक्त करने पर समूह के किसी सदस्य को शत–प्रतिशत अनुदान पर स्प्रिंकलर/रेनगन सिस्टम उपलब्ध कराने की सुविधा इस योजना में नहीं होगी।

(2) स्किलर सिस्टम की आपूति हेतु मुख्य अभियंता ,लघु सिंचाई विभाग द्वारा विभिन्न मदों की विशिष्टियां निर्धारित की जायेंगी तथा स्प्रिंकलर सिस्टम/सेट के चयन/कय में लाभार्थीसमूह की इच्छा को पर्याप्त स्थान दिया जायेगा। साथ ही स्प्रिंकलर सिस्टम की गुणवत्ता सुनिश्चित करने

Brij Bhusan-517

की कार्यवाही भी विभाग द्वारा सुनिश्चित की जायेगी। इस संबंध में विस्तृत दशा–निर्देश पृथक से निर्गत किये जायेंगे।

2– अतएव उपर्युक्तानुसार आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित की जाये।

भवदीय,

(सुशील कुमार)
प्रमुख सचिव।

सं0:–919(1)/62–2–2011,तद्दिनांक।

प्रतिलिपि संलग्नक सहित निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– महालेखाकार(लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0 प्र0 इलाहाबाद।
2– महालेखाकार(लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0 प्र0 इलाहाबाद।
3– संबंधित मण्डलायुक्त, उ0 प्र0।
4– संबंधित जिलाधिकारी, उ0 प्र0।
5– समस्त अधीक्षण अभियंता/अधिशासी अभियंता/सहायक अभियंता, लघु सिंचाई विभाग, उ0 प्र0।
6– संबंधित मुख्य विकास अधिकारी/अतिरिक्त जिलाधिकारी (विकास/जिला विकास अधिकारी) उ0 प्र0।
7– निदेशक, भूगर्भ जल विभाग, उ0 प्र0 लखनऊ।
8– समस्त मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उ0 प्र0।
9– राज्य योजना आयोग अनुभाग–3, उ0 प्र0 शासन।
10– वित्त (व्यय–नियंत्रण) अनुभाग–2/3
11– वित्त (आय–व्ययक) अनुभाग–2
12– निदेशक, सूचना एवं विशेष कार्याधिकारी, सूचना, मुख्य मंत्री, (श्री जमील अख्तर)।
13– विषय विशेषज्ञ, निदेशक (प्रशिक्षण), लघु सिंचाई विभाग, उ0 प्र0, लखनऊ।
14– बजट प्रकोष्ठ समाज कल्याण विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
15– गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(सुबोध कुमार श्रीवास्तव)
अनु सचिव।

Brij Bhusan-518